2/5/19

पत्रावली पेश हुई। कोई भी पक्षगण अथवा उनके वकील उपस्थित नहीं आये। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट को बार-बार कई बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु न तो अपीलान्ट उपस्थित आये न ही उनके वकील उपस्थित हुए। वकील अपीलान्ट अथवा उनके अपीलान्ट का बावजूद सूचना उपस्थित न होना उनकी अपील को आगे न चलाए जाने की मंशा को दर्शाता है लिहाजा अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद इति नकल दफ्तर की जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर